न्यायाधीश, मोटरयान दुर्घटना दावा अधिकरण संख्या–02, अनूपगढ़, जिला–श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारीः– **नारायण प्रसाद,** R.J.S.
{U.I.D. No.RJ00778}
{जिला न्यायाधीश संवर्ग}

क्लेम याचिका संख्याः– 58/2024
C. I. S. No.:– 01/2023

01. लूणाराम पुत्र पतराम, उम्र 49 वर्ष,
02. सावत्री देवी पत्नी लूणाराम, उम्र 47 वर्ष,
समस्त निवासीगण 24 आर.जे.डी, तहसील रावला, जिला–श्रीगंगानगर(राज.)

––याचीगण

– ब ना म –

01. मनदीप सिंह पुत्र बग्गा सिंह, उम्र 27 वर्ष, निवासी वार्ड नं. 03 प्रेमनगर अनूपगढ़, तहसील अनूपगढ़, जिला–श्रीगंगानगर(राज.)

––वाहन चालक

02. विकास कुमार पुत्र होशियार सिंह, उम्र 28 वर्ष, निवासी रामनाथ पुर, हाल निवासी प्लॉट नम्बर 3/341 सैक्टर नं. 01 विद्याधर नगर जयपुर(राज.)

––वाहन मालिक

03. Universal Sompo General Insurance Company Limited, Ground Floor, 29–B, White Sapphire Apartments, Govind Marg, Adarsh Nagar, JAIPUR, Rajasthan, 302001

––बीमा कम्पनी

––अयाचीगण

– क्लेम याचिका अन्तर्गत धारा 166 मोटरयान दुर्घटना अधिनियम, 1988 –

उपस्थितः–

01. श्री दयाराम लखेसर, अधिवक्ता–याचीगण
02. श्री बलदेव सैन, अधिवक्ता–अयाची संख्या–01 व 02
03. श्री नरेन्द्र चुघ, अधिवक्ता–अयाची संख्या–03

– :: नि र्ण य :: – **दिनांक–17.07.2026**

1. याचीगण लूणाराम आदि द्वारा दिनांक 17.07.2022 को मोटरयान दुर्घटना में याचीगण के पुत्र राजेन्द्र कुमार के चोटें आने एवं दौराने ईलाज मृत्यु होने के परिणामस्वरूप उत्पन्न क्षतियों की पूर्ति हेतु यह क्लेम याचिका न्यायालय मोटरयान

दुर्घटना दावा अधिकरण संख्या 01, अनूपगढ़ के समक्ष दिनांक 23.12.2022 को पेश की गई, जहाँ से अन्तरित होकर विधिवत् सुनवाई हेतु इस अधिकरण के समक्ष दिनांक 08.07.2024 को पेश होने पर नियमानुसार दर्ज रजिस्टर की गई।

2. याचीगण द्वारा प्रस्तुत याचिका के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि दिनांक 18.07.2022 को परिवादिया केसरी देवी ने एक रिपोर्ट पुलिस थाना अनूपगढ़ में इस आशय की पेश की कि दिनांक 17.07.2022 को राजेन्द्र, उसकी पुत्री रामप्यारी, प्रियंका तथा श्रवण के साथ मोटरसाईकिल नं. आरजे 13 के एस 1655 से घड़साना से दवाई लेकर आ रहे थे तो वक्त शाम करीब 6:20 बजे मोटरसाइकिल से चक 6 पी बस अड्डा के पास पहुंचा तो सामने से एक कार नं. आरजे 45 सीएच 5996 का चालक तेज गति व लापरवाही से चलाता हुआ आया और राजेन्द्र के साईड में चलते हुए के टक्कर मारी जिससे रामप्यारी, राजेन्द्र, प्रियंका, श्रवण के चोटें आई। गंभीर चोट लगने से रामप्यारी की दौराने ईलाज सरकारी अस्पताल, अनूपगढ़ में मृत्यु हो गयी। प्रियंका उम्र 07 साल की मौके पर मृत्यु हो गयी। राजेन्द्र के गंभीर चोट लगने से बेहोश होने के कारण डॉक्टर ने श्रीगंगानगर रैफर कर दिया जिसका ईलाज श्रीगंगानगर सरकारी अस्पताल में चल रहा है। कार चालक कार नं. आरजे 45 सीएच 5996 ने तेजी व लापरवाही से चलाकर राजेन्द्र के मोटरसाईकिल नं. आरजे 13 के एस 1655 के टक्कर मारी, जिससे रामप्यारी व प्रियंका की मृत्यु हो गई। राजेन्द्र व श्रवण के चोटें लगी है.......इत्यादि। परिवादिया केसरीदेवी द्वारा प्रस्तुत उक्त रिपोर्ट के आधार पर पुलिस थाना अनूपगढ़ में प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या –474/2022, अन्तर्गत धारा 279, 304(ए) भारतीय दण्ड संहिता में दर्ज कर अनुसंधान आरम्भ किया तथा बाद अनुसंधान अयाची संख्या 01 मनदीप सिंह(चालक) के विरूद्ध जुर्म धारा 279, 304 ए भारतीय दण्ड संहिता का अपराध प्रमाणित पाये जाने पर आरोप पत्र विचारण न्यायालय में पेश किया गया।

3. याचीगण लूणाराम आदि ने हस्तगत याचिका में दुर्घटना के समय अपने पुत्र राजेन्द्र कुमार की आयु 22 वर्ष होना, मृतक मजदूरी एवं पशुपालन का कार्य करके 2,40,000/– रूपये वार्षिक आय अर्जित करना बताते हुए भिन्न–भिन्न क्षतियों के रूप में याचिका में वर्णित क्षतिपूर्ति राशि दिलाये जाने की मांग की। याचीगण ने दुर्घटनाग्रस्त कार नं. आरजे–45–सीएच–5996 का मालिक अयाची संख्या 02 विकास कुमार का होना एवं उक्त कार अयाची संख्या 03 बीमा कम्पनी से बीमित होना, दुर्घटना बीमित अवधि के भीतर होना बताते हुए अयाचीगण से उक्त क्षतिपूर्ति राशि दिलाये जाने का निवेदन किया।

4. अयाची संख्या 01 व अयाची संख्या 02 की ओर से दिनांक 25.04.2024 को पृथक् पृथक् जवाब याचिका पेश कर उक्त दोनों जवाब याचिका में समान रूप से अभिकथन किया गया कि अयाची संख्या 01 द्वारा कोई दुर्घटना कारित नहीं की गई है।

मृतक राजेन्द्र को मोटरसाईकिल चलाना नहीं आता था। नक्शा मौका व हालात मौका से स्पष्ट है कि उक्त दुर्घटना मृतक राजेन्द्र की गलती से हुई है। मृतक राजेद्र स्वयं की गलती के कारण कारित दुर्घटना के लिये क्लैम राशि प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। अयाची संख्या 01 के पास वैध एवं प्रभावी ड्राईविंग लाईसेंस था तथा वरवक्त दुर्घटना कार नम्बर आर.जे.45 सीएच 5996 का पंजीकृत मालिक अयाची संख्या 02 था। वरवक्त दुर्घटना कार नम्बर आरजे 45 सीएच 5996 अयाची सख्या 03 से बिमीत थी। यदि किसी कारणवश माननीय न्यायालय द्वारा क्लैम राशि याचीगण को दिलाई जाती है तो अप्रार्थी संख्या 03 बीमा कम्पनी होने के कारण उक्त क्लैम के लिये दायी है। अंत में जवाब क्लैम याचिका पेश कर याचीगण की क्लैम याचिका उत्तरदाता/अप्रार्थी संख्या 01 के विरूद्ध खारिज फरमाई जाने का निवेदन किया गया।

5. अयाची संख्या–03(बीमा कम्पनी) Universal Sompo General Insurance Company Limited की ओर से जवाब याचिका पेश कर अभिकथन किया गया कि प्रथम सूचना रिपोर्ट गलत तथ्यों के आधार पर प्रार्थी को लाभ पहुंचाने के आशय से मोटरसाईकिल टीवीएस स्पोर्टस नम्बर आर.जे. 13 केएस 1655 के चालक व मृतक स्वयं का दोष छुपाते हुए दर्ज करवाई गई है जिसकी पुष्टि नक्शा मौका हालात मौका व अन्य दस्तावेजात से स्पष्ट होती है। क्लेम याचिका के साथ प्रस्तुत दस्तावेजात से स्पष्ट है कि उक्त दुर्घटना दिनांक 17.07.2022 को 06:20 पी.एम पर होनी बताई है, जबकि प्रथम सूचना रिपोर्ट अगले दिन देरी से विधिक राय लेकर दिनांक 18.07.2022 को मिथ्या क्लेम लेने के आशय से दर्ज करवाई गई है। एफ.आई.आर के अवलोकन से स्पष्ट है कि दुर्घटना राजेन्द्र नामक व्यक्ति द्वारा मोटरसाईकिल को लापरवाही पूर्वक चलाकर की गई है। मिथ्या क्लेम लेने के आशय से व बीमा कम्पनी को नुकसान पहुंचाने के आशय से वाहन कार सख्या आर.जे.–45 सी.एच 5996 को आरोपित बनाया गया है तथा मनदीप सिह को मुलजिम बनाया गया है। पुलिस द्वारा साक्ष्य के आधार पर किसी भी वाहन को जब्त नहीं किया गया जबकि विधिक राय लेकर वाहन कार सख्या आर.जे.–45 सी.एच 5996 व घटना में लिप्त अन्य वाहन मोटरसाईकिल टीवीएस सपोर्टस नम्बर आर.जे. 13 केएस 1655 के मालिक से सांठ–गांठ कर बीमा कम्पनी को नुकसान पहुंचाने व मिथ्या क्लेम लेने के आशय से दिनांक 31.07.2022 को घटना के 14 दिवस बाद वाहन को स्वयं पुलिस थाना में प्रस्तुत कर फर्द जब्ती बनाई गई है तथा मैकेनिकल मुआयना भी बीमा कम्पनी को नुकसान पहुंचाने व मिथ्या क्लेम लेने के आशय से दिनांक 04.08.2022 को घटना के करीब 18 दिवस बाद किया गया है। वाहन चालक मनदीप सिंह के पास उक्त वाहन चलाने हेतु वैध व प्रभावी लाईसेंस नहीं था जो बीमा की शर्तों का उल्लंघन है। वाहन कार सख्या आर.जे.–45–सी.एच 5996 के स्वामी अप्रार्थी सं. 02 ने यह जानते हुए कि वाहन चालक/मालिक स्वयं के पास उक्त वाहन चलाने हेतु वैध व प्रभावी ड्राईविंग लाईसेंस नहीं है, फिर भी उसने वाहन

चलाकर बीमा पॉलिसी व मोटरयान अधिनियम की अवहेलना की है। उत्तरदाता बीमा कम्पनी को बीमित द्वारा दुर्घटना बाबत् कोई सूचना नहीं दी गई व ना ही वरवक्त दुर्घटना चालक की सूचना दी गई जो कि बीमा पॉलिसी की शर्तों/नियमों के अनुरूप दिया जाना आवश्यक है। एफ.आई.आर के अवलोकन से स्पष्ट है कि मृतक राजेन्द्र, श्रवण, रामप्यारी, प्रियंका मोटरसाईकिल टीवीएस सपोर्टस पर सवार होकर घड़साना से सवार होकर आ रहे थे, जिसमें अज्ञात वाहन से दुर्घटना हुई, जिसके पास बीमा भी नहीं था व ड्राईविंग लाईसेन्स भी नहीं था। ऐसी स्थिति में बीमा कम्पनी का प्रतिकर हेतु कोई दायित्व नहीं बनता है। अतः बीमा पॉलिसी की शर्तों व एम.वी.एक्ट की अवहेलना होने के कारण अयाची सं. 03 बीमा कम्पनी प्रतिकर अदायगी हेतु उत्तरदायी नहीं है। अंत में जबाब याचिका प्रस्तुत कर याचीगण की याचिका अयाची संख्या 03 बीमा कम्पनी के विरूद्ध निरस्त फरमाये जाने का निवेदन किया गया।

6. पक्षकारों के अभिवचनों के आधार पर अधिकरण द्वारा निम्न विवाद्यकों की विरचना की गईः–

01. आया दिनांक 17.07.2022 को वक्त करीब 06.20–06.30 पीएम पर सड़क आम अनूपगढ से घड़साना वाके बस अड्डा 6 पी के पास अयाची संख्या 01 मनदीपसिंह ने कार नं० आर जे 45 सीएच 5996 को उपेक्षा, लापरवाही एवं तेजगति से चलाकर मोटरसाईकिल नं. आर जे 13 के एस 1655 के टक्कर मारी, जिससे मोटरसाईकिल चालक याचीगण के पुत्र राजेन्द्र के के शरीर पर गम्भीर चोटें आई एवं दौराने ईलाज उसकी मृत्यु हो गई? **––याचीगण**

02. आया याचीगण प्रतिकर प्राप्त करने के अधिकारी है, यदि हाँ तो किस किस से व कितनी? **––याचीगण**

03. आया अयाची सं. 03 बीमा कम्पनी अपने जवाब याचिका में उठाए गए उजरात के आधार पर प्रतिकर राशि अदा करने के लिए उत्तरदायी नहीं है?

––अयाची सं. 03

04. अनुतोष ?

7. याचीगण की ओर से अपनी याचिका के समर्थन में मौखिक साक्ष्य में गवाह ए.डब्ल्यू. 01 लूणाराम के बयान लेखबद्व करवाये गये तथा दस्तावेजी साक्ष्य में प्रदर्श 01 लगायत प्रदर्श 19 दस्तावेज पेश कर प्रमाणित करवाये गये।

8. अयाचीगण की ओर से अपने जवाब याचिका के समर्थन में मौखिक अथवा दस्तावेजी साक्ष्य पेश नहीं की गई।

9. बहस अंतिम उभय पक्ष सुनी।

10. बहस के दौरान अधिवक्ता याचीगण का कथन रहा है कि हस्तगत प्रकरण के निर्धारण हेतु सिविल प्रक्रिया संहिता के प्रावधान कठोर रूप से लागू नहीं होते हैं। धारा

---

166 मोटरयान अधिनियम के तहत् प्रस्तुत हस्तगत याचिका एक लाभकारी विधायन के तहत प्रस्तुत याचिका है, जिसमें केवल सम्भावनाओं को ही साबित करना पर्याप्त है तथा मामले को संदेह से परे साबित करना आवश्यक नहीं है। घटना के तुरन्त बाद घटना की रिपोर्ट दर्ज करवा दी गई है। याचीगण अपना मामला अपने पक्ष में साबित करने में सफल रहे हैं। उपर्युक्त आधारों पर याचिका स्वीकार किये जाने का निवेदन किया गया।

11. बहस के दौरान अधिवक्ता अयाची संख्या 03(बीमा कम्पनी) का कथन रहा है कि हस्तगत याचिका को साबित करने के लिए उपेक्षा का साबित किया जाना आवश्यक था, जबकि प्रकरण में स्वयं चालक की गलती रही है। बीमा कम्पनी किसी भी प्रकार से उत्तरदायी नहीं है तथा क्लेम राशि अदा करने हेतु दायित्वाधीन नहीं है। उपर्युक्त आधारों पर याचिका अस्वीकार कर खारिज़ किये जाने का निवेदन किया गया।

12. इसके विपरीत बहस के दौरान अधिवक्ता अयाची संख्या 01 व 02 का कथन रहा है कि कार नं. RJ–45 सीएच–5996 से किसी भी प्रकार की दुर्घटना नहीं हुई है। अयाचीगण के विरूद्ध मिथ्या प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है। उपर्युक्त आधारों पर याचिका खारिज किये जाने का निवेदन किया गया।

13. उभय पक्षों के तर्कों पर मनन किया गया। पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन एवं परिशीलन किया गया। याचीगण की ओर से प्रस्तुत सम्माननीय न्यायिक दृष्टांतों का ससम्मान अवलोकन कर उचित मार्गदर्शन प्राप्त किया गया। अधिकरण का विवाद्यकवार विवेचन निम्नलिखित है:–

विवाद्यक संख्याः–01

01. आया दिनांक 17.07.2022 को वक्त करीब 06.20–06.30 पीएम पर सड़क आम अनूपगढ से घड़साना वाके बस अड्डा 6 पी के पास अयाची संख्या 01 मनदीपसिंह ने कार नं० आर जे 45 सीएच 5996 को उपेक्षा, लापरवाही एवं तेजगति से चलाकर मोटरसाईकिल नं. आर जे 13 के एस 1655 के टक्कर मारी, जिससे मोटरसाईकिल चालक याचीगण के पुत्र राजेन्द्र के के शरीर पर गम्भीर चोटें आई एवं दौराने ईलाज उसकी मृत्यु हो गई? **––याचीगण**

14. विवाद्यक संख्या 01 को साबित करने का भार याचीगण पर है जिसे साबित करने के लिए याची संख्या 01 द्वारा अपने बयान लेखबद्ध करवाये गये है। याची संख्या 01 लूणाराम द्वारा अपनी मुख्य परीक्षा में याचिका के तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया गया है कि केसरीदेवी द्वारा एक प्रथम सूचना रिपोर्ट इस आशय की दर्ज करवाई गई कि दिनांक 17.07.2022 को मृतक राजेन्द्र कुमार अन्य सवारियों के साथ मोटरसाईकिल नं. आरजे–13–के.एस.–1655 से घड़साना से दवाई लेकर आ रहा था तो वक्त शाम 06.20 पर चक 06 पी बस अड्डा के पास कार संख्या आरजे–45 सी.एच. 5996 का चालक कार को तेजगति व लापरवाही से चलाते हुए लाया व राजेन्द्र कुमार के साईड में

चलते हुए के टक्कर मारी जिससे राजेन्द्र कुमार व अन्य सवारियों के चोटें आयी तथा दौराने ईलाज राजेन्द्र कुमार की मृत्यु हो गई। इस प्रकार गवाह द्वारा अपनी मुख्य परीक्षा में कार संख्या आरजे–45 सी.एच. 5996 के चालक द्वारा उक्त कार को तेजगति व लापरवाही से चलाकर राजेन्द्र कुमार जिस मोटरसाईकिल नं. आरजे–13–के.एस.–1655 पर सवार था, उसके टक्कर मारे जाने का, उक्त टक्कर से राजेन्द्र कुमार के चोटें आने का तथा उक्त चोटों के कारण राजेन्द्र कुमार की मृत्यु होने का कथन किया गया है। गवाह द्वारा अपनी मुख्य परीक्षा के दौरान इस सम्बन्ध में दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 474/2022 से सम्बन्धित दस्तावेज प्रस्तुत किये गये हैं, जिसके अनुसार अयाची संख्या 01 को सुसंगत समय व दिनांक पर उपरोक्त कार नं. आरजे–45–सी.एच.–5996 का चालक मानते हुए आरोप पत्र सक्षम न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है।

15. जिरह में गवाह कथन करता है कि पुलिस ने अस्पताल में उसके खाली कागजों पर हस्ताक्षर नहीं करवाये थे। उसे कार का नम्बर याद है जो आरजे–45–सी.एच.–5996 है। पुलिस वालों ने उसे गाड़ी का नम्बर बताया था तथा यह भी बताया कि कार का मालिक जयपुर का कोई व्यक्ति है। गवाह इस सुझाव से इन्कार करता है कि अपने लड़के की मौत पर क्लेम राशि के लिए वह झूठे बयान कर रहा हो।

16. अयाची संख्या 03 की ओर से जिरह में गवाह कथन करता है कि गाड़ी ने मोटरसाईकिल के सामने से टक्कर मारी थी। गवाह इस सुझाव से इन्कार करता है कि दुर्घटना अन्य किसी वाहन से हुई हो लेकिन पुलिस ने क्लेम दिलवाने के आशय से उचित अनुसंधान ना किया हो तथा उसने अयाची संख्या 01 व 02 के साथ दुर्भिसंधि कर आरोपित वाहन को संलिप्त करवाया हो। गवाह इस सुझाव से भी इन्कार करता है कि उपरोक्त वाहन से दुर्घटना कारित ना हुई हो तथा घटना के समय वाहन का बीमा ना हो। गवाह इस सुझाव से भी इन्कार करता है कि पत्रावली पर उपलब्ध पॉलिसी दुर्घटना के समय प्रभावी ना हो। गवाह स्वीकार करता है कि उसने आय के सम्बन्ध में कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया है लेकिन इस सुझाव से इन्कार करता है कि दुर्घटना के समय चालक मनदीप सिंह के पास वैध एवं प्रभावी ड्राईविंग लाईसेंस ना हो। गवाह इस सुझाव से इन्कार करता है कि लापरवाही मोटरसाईकिल चालक राजेन्द्र कुमार की हो तथा वह झूठे बयान कर रहा हो।

17. इस प्रकार गवाह अपनी जिरह में मुख्य परीक्षा के कथनों पर अडिग रहा है तथा गवाह की जिरह में कोई विरोधाभासी तथ्य नहीं आया है। यद्यपि अयाची संख्या 03 का गवाह से सुझाव रहा है कि दुर्घटना किसी अन्य वाहन से हुई थी लेकिन याची ने क्लेम राशि प्राप्त करने के लिए अयाची संख्या 01 व 02 से दुर्भिसंधि कर उपरोक्त वाहन को गलत रूप से संलिप्त करवाया है लेकिन गवाह ऐसा क्यों करेगा, इस सम्बन्ध में अयाची संख्या 03 द्वारा कोई स्पष्ट साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गई है। दुर्घटना के तुरन्त पश्चात् बिना किसी देरी के रिपोर्ट दर्ज करवा दी गई है। बाद अनुसंधान अयाची संख्या 01 के विरूद्ध,

अयाची संख्या 01 द्वारा कार संख्या आरजे–45 सी.एच.–5996 को तेजगति व लापरवाही से चलाये जाने के आधार पर आरोप पत्र प्रस्तुत किया जा चुका है। ऐसी स्थिति में कार नं. आरजे–45–सी.एच.–5996 के चालक द्वारा कार को तेजगति व लापरवाही से चलाकर दुर्घटना कारित किये जाने के सम्बन्ध में प्रथम दृष्टया कोई संदेह नहीं रह जाता है। अतः उपरोक्त विवेचनानुसार याचीगण विवाद्यक संख्या 01 को अपने पक्ष में साबित करने में सफल रहे हैं।

विवाद्यक संख्याः– 03

03. आया अयाची सं. 03 बीमा कम्पनी अपने जवाब याचिका में उठाए गए उजरात के आधार पर प्रतिकर राशि अदा करने के लिए उत्तरदायी नहीं है?

––अयाची सं. 03

15. इस विवाद्यक को साबित करने का भार अयाची संख्या 03 पर रहा था लेकिन अयाची संख्या 03 को पर्याप्त अवसर दिये जाने के पश्चात् भी अयाची संख्या 03 द्वारा उक्त विवाद्यक को साबित करने के लिए कोई मौखिक अथवा दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गई है। अतः विवाद्यक संख्या 03 अयाची संख्या 03 के विरूद्ध तय किया जाता है।

विवाद्यक संख्याः– 02

02. आया याचीगण प्रतिकर प्राप्त करने के अधिकारी हैं, यदि हाँ तो किस किस से व कितनी?

––याचीगण

16. इस विवाद्यक को साबित करने का भार याचीगण पर रहा है। इस संबंध में याचीगण ने अपनी याचिका में एवं याची ए.डब्ल्यू. 01 लूणाराम ने अपनी साक्ष्य में यह कथन किये हैं कि वरवक्त दुर्घटना मृतक राजेन्द्र कुमार 22 वर्षीय हष्टपुष्ट, स्वस्थ था जो मजदूरी व पशुपालन का कार्य करके 2,40,000/–रूपये वार्षिक आय अर्जित करता था, जिसमें उत्तरोतर वृद्धि होने की संभावना थी। मृतक अपनी आय का अधिकांश हिस्सा याचीगण पर ही खर्च करता था एवं याचीगण मृतक पर ही आश्रित थे। याचीगण ने मृतक राजेन्द्र कुमार की असमय मृत्यु होने से आय का नुकसान, याचीगण को मानसिक पीड़ा, याचीगण लूणाराम व सावित्री देवी अपने पुत्र मृतक राजेन्द्र कुमार के स्नेह, आश्रय, सानिध्य से तथा बूढापे के सहारे से वंचित होने की पूर्ति के लिये पांच लाख रूपये, अंतिम संस्कार खर्च के एक लाख रूपये, अस्पताल व परिवहन खर्च के पांच हजार रूपये एवं मोटरसाईकिल क्षतिग्रस्त, मृतक के कपड़े फट गए व मोबाईल टूटा गया उसके लिए पचास हजार रूपये सहित उक्त राशि अयाचीगण से दिलाई जाने की प्रार्थना की है। याचीगण को दिलाई जाने वाली क्षतिपूर्ति राशि के निर्धारण के संबंध में अधिकरण का निष्कर्ष निम्न प्रकार हैः–

मृतक की आयु व गुणांकः–

17. जहाँ तक वर वक्त दुर्घटना मृतक राजेन्द्र कुमार की आयु का प्रश्न है, इस संबंध में याचिका में मृतक की उम्र 22 वर्ष अंकित है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट प्रदर्श–05 एवं फर्द सूरत लाश एवं पंचनामा लाश प्रदर्श–06 में मृतक राजेन्द्र कुमार की उम्र 22 वर्ष अंकित है। अयाचीगण की ओर से उक्त साक्ष्य के खण्डन में कोई साक्ष्य पेश नहीं की गयी है। दुर्घटना दिनांक 17.07.2022 की है। अतः वरवक्त घटना मृतक राजेन्द्र कुमार की उम्र 22 वर्ष निर्धारित की जाती है जो 21 से 25 आयु वर्ग में आती है। माननीय उच्चतम न्यायालय के न्यायिक निर्णय(2009) AIR (SC) 3104 SMT. SARLA VERMA AND OTHERS Vs DELHI TRANSPORT CORPORATION AND ANOTHER में प्रतिपादित सिद्धांतों व दिशा–निर्देशों की अनुपालना में पंचाट राशि निर्धारण हेतु 18 का गुणांक उपयोग में लाया जाना न्यायसंगत प्रतीत होता है।

मृतक की आय–

18. इस विवाद्यक को प्रमाणित करने के लिए मृतक की आय का निर्धारण किया जाना आवश्यक है। इस संबंध में याचीगण ए.डब्ल्यू.1 लूणाराम ने कथन किया है कि मृतक मजदूरी एवं पशुपालना का काम करता था जिससे उसे 2,40,000/–रूपये वार्षिक आय अर्जित होती थी परन्तु इस संबंध में याचीगण की ओर से कोई दस्तावेजी साक्ष्य पेश नहीं की गई है तथा इस संबंध में याची द्वारा अपनी जिरह के दौरान स्वीकार भी किया गया है। अतः यह नहीं माना जा सकता कि वरवक्त दुर्घटना मृतक राजेन्द्र कुमार 2,40,000/– रूपये वार्षिक कमाता हो। अतः प्रकरण के समस्त तथ्यों एवं परिस्थितियों को देखते हुए मृतक को वरवक्त दुर्घटना अकुशल श्रमिक मानते हुए राजस्थान राज्य में माह जुलाई, 2022 को अकुशल श्रमिक की न्यूनतम मजदूरी दर **6734/–**रूपये प्रतिमाह होने के कारण मृतक राजेन्द्र कुमार की वार्षिक आय **80,808/–** रूपये निर्धारित की जाती है।

19. न्यायिक दृष्टांत(2017) AIR(SC) 5157 NATIONAL INSURANCE COMPANY LIMITED Vs. PRANAY SETHI में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा मृतक के 40 वर्ष के आयु के स्वनियोजित व्यक्ति होने के कारण 40 प्रतिशत भावी आय वृद्धि किये जाने के निर्देश दिये गये है। अतः उक्त 40 प्रतिशत की वृद्धि भावी आय में करने पर 80,808+ 32,323= 1,13,131/–रूपये मृतक को वार्षिक आय प्राप्त होती है।

आय में कटौती–

20. मृतक राजेन्द्र कुमार अविवाहित था एवं याचीगण मृतक पर आश्रित थे। माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा न्यायिक दृष्टांत 2009 ACR (SC) 3104 Smt. Sarla Verma and others Vs. Delhi Transport Corporation and Another में प्रतिपादित सिद्धांतों, दिशा–निर्देशों की अनुपालना में मृतक के अविवाहित होने के कारण मृतक की आय में से 1/2 राशि मृतक द्वारा स्वयं के रहन–सहन पर खर्च की

जाने वाली राशि के रूप में कटौती की जावेगी। इस प्रकार मृतक की वार्षिक आय 1,13,131 रूपये में से 1/2 राशि कटौती किये जाने पर शेष राशि 1,13,131–56,565= 56,565/–रूपये वार्षिक आय होती है। इस प्रकार आय की क्षति के रूप में राशि की गणना हेतु शेष राशि {वार्षिक आय×गुणांक 18} = 56,565×18= 10,18,170/–रूपये निर्धारित की जाती है, जिस राशि का नुकसान याचीगण को मृतक की इस दुर्घटना में असामयिक मृत्यु से उठाना पड़ेगा।

स्नेह वात्सल्य (Consortium), दाह संस्कार एवं सम्पदा हानि–

21. माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा न्यायिक दृष्टांत (2017) AIR(SC) 5157 NATIONAL INSURANCE COMPANY LIMITED Vs. PRANAY SETHI, New India Assurance Company Ltd. Vs. Somwati and Others, 2021(1) R.A.R. 24(SC) एवं United India Insurance Co. Ltd. Vs. Satinder Kaur @ Satwinder Kaur & Ors. Dated 30 June, 2020 मामलों में प्रतिपादित सिद्धांतों के अनुसार इस मद में माता–पिता बाबत Parental Consortium दिये जाने के निर्देश दिये गये हैं। माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा न्यायिक दृष्टांत National Insurance Company Limited Versus Pranay Sethi and Ors. 2017 AIR (SC) 5157 में ये दिशा–निर्देश दिये गये है "Reasonable figures on conventional heads, namely, loss of estate, loss of consortium and funeral expenses should be Rs.15,000/–, Rs. 40,000/–, Rs. 15,000/– respectively. The aforesaid amounts should be enhanced at the rate of 10% in every three years"। अतः वर्तमान प्रकरण में उक्त मामलों में प्रतिपादित सिद्धांतों के अनुसार उपरोक्त मदों में क्षतिपूर्ति हेतु याचीगण संख्या 01 व 02 मृतक के माता–पिता बाबत प्रत्येक को Consortium 40,000/– रूपये दिलाये जाने योग्य पाया जाकर कुल राशि 80,000/– दिलाये जाना न्यायसंगत प्रतीत होता है।

22. याचीगण को Loss of Estate and Funeral Expenses के मद में क्रमशः 15,000/– रूपये एवं 15,000/–रूपये की राशि दिलाई जाना न्यायसंगत प्रतीत होता है।

23. मृतक के शव को लाने–ले जाने के लिए परिवहन खर्च के रूप में याचीगण को 5,000/–रूपये दिलाये जाना उचित है।

24. उपरोक्त विवेचनानुसार याचीगण को देय क्षतिपूर्ति राशि निम्न प्रकार आंकलित की जाती है –

1.	आय की हानि के लिये 56,565×18=	–	10,18,170/–
2.	Loss of Consortium	–	80,000/–रूपये
3.	Funeral Expenses	–	15,000/–रूपये

4.	Loss of Estate	–	15,000/–रूपये
5.	परिवहन व्यय बाबत	–	5,000/–रूपये
	कुल देय क्षतिपूर्ति राशि	–	11,33,170/–रूपये

25. अब यह देखा जाना है कि याचीगण उक्त प्रतिकर राशि किस–किस अयाची से किस–किस प्रकार प्राप्त करने के अधिकारी है। विवाद्यक संख्या 01, 02 व 03 के विवेचन में यह निर्धारित किया गया है कि दिनांक 17.07.2022 को वक्त करीब 06.20–06.30 पीएम पर सड़क आम अनूपगढ़ से घड़साना वाके बस अड्डा 06 पी के पास अयाची सं. 01 मनदीप सिंह ने कार संख्या आरजे–45–सीएच–5996 को तेजी एवं लापरवाही से चलाकर याचीगण के पुत्र राजेन्द्र कुमार के मोटरसाईकिल नं.. आरजे–13–के.एस.1655 के टक्कर मारकर दुर्घटना कारित की एवं उक्त दुर्घटना में याचीगण के पुत्र राजेन्द्र कुमार के आई चोटों के फलस्वरूप दौराने ईलाज राजेन्द्र कुमार की मृत्यु कारित हुई। वक्त दुर्घटना आरोपित वाहन अयाची संख्या 03 बीमा कम्पनी से बीमित था एवं दुर्घटना बीमित अवधि के भीतर हुई है। वक्त दुर्घटना प्रश्नगत वाहन का पंजीकृत स्वामी अयाची संख्या 02 विकास कुमार था। अतः याचीगण उक्त प्रतिकर राशि अयाची संख्या 02 व 03 से संयुक्त एवं पृथक्–पृथक् रूप से प्राप्त करने के अधिकारी हैं।

<u>अनुतोष(विवाद्यक संख्या–04)</u>

26. उपरोक्त विवाद्यकों के विवेचनानुसार याचीगण संख्या 01 लूणाराम एवं संख्या 02 सावित्री देवी कुल 11,33,170/–रूपये, अयाची संख्या 02 व 03 से संयुक्ततः व पृथकतः प्राप्त करने के अधिकारी हैं तथा इस राशि पर याचीगण, याचिका प्रस्तुत करने की दिनांक 23.12.2022 से वसूली तक 06 प्रतिशत वार्षिक साधारण दर से ब्याज राशि भी प्राप्त करने के अधिकारी हैं। याचीगण की उक्त क्लेम याचिका उपरोक्तानुसार प्रतिकर हेतु स्वीकार किये जाने योग्य है।

–:: <u>आदेश/पंचाट</u> ::–

27. अतः याचीगण लूणाराम आदि की ओर से प्रस्तुत यह क्लेम याचिका विरूद्ध अयाचीगण मनदीप सिंह आदि इस प्रकार से **स्वीकार** की जाती है कि याची संख्या 01 लूणाराम एवं याची संख्या 02 सावित्री देवी कुल प्रतिकर राशि 11,33,170/–रूपये(ग्यारह लाख तैतीस हजार एक सौ सत्तर रूपये) अयाची संख्या 02 व 03 से संयुक्ततः एवं पृथकतः प्राप्त करने के अधिकारी हैं तथा इस राशि पर याचीगण, याचिका प्रस्तुत करने की दिनांक 23.12.2022 से वसूली तक 06 प्रतिशत वार्षिक साधारण दर से ब्याज राशि भी प्राप्त करने के अधिकारी हैं। इस बाबत अंतिम पंचाट जारी किया जाता है, जो निम्नानुसार हैः–

क्र.सं.	नाम याची/अयाची	बचत खाता में	सावधि खाता में	सावधि जमा की अवधि
1.	लूणाराम	3,16,585/–रूपये एवं सम्पूर्ण प्रतिकर राशि पर देय ब्याज	2,50,000	दो वर्ष
2.	सावित्री देवी	3,16,585/–रूपये एवं सम्पूर्ण प्रतिकर राशि पर देय ब्याज	2,50,000	दो वर्ष

28. यदि याचीगण के द्वारा दोषरहित दायित्व के तहत पूर्व में कोई राशि प्राप्त की गई है, तो उस राशि का प्रतिकर की राशि में समायोजन किया जाकर शेष राशि याची को दी जावे।

29. अयाचीगण उक्त प्रतिकर राशि संयुक्ततः एवं पृथकतः एक माह के भीतर मय ब्याज अदा करेंगे। भुगतान अधिकरण के बैंक खाता में आरटीजीएस/नैफ्ट किया जाए और आरटीजीएस/नैफ्ट की सूचना अयाचीगण द्वारा अधिकरण को उपलब्ध करवाई जावे।

30. याचीगण को निर्देशित किया जाता है कि निर्णय की तिथि से तीस दिन की अवधि में अपने पैन कार्ड की फोटोप्रति आयाची बीमा कम्पनी को उपलब्ध कराए। उपरोक्त प्रतिकर राशि प्राप्त होने पर याचीगण किसी राष्ट्रीयकृत बैंक खाते के माध्यम से उक्तानुसार नकद/सावधि प्राप्त करेगा। प्रकरण का व्यय पक्षकारान अपना अपना वहन करेंगे।

{नारायण प्रसाद}
न्यायाधीश,
मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण, संख्या–02
अनूपगढ़, जिला–श्रीगंगानगर

31. निर्णय एवं पंचाट आज दिनांक 17.07.2026 को लिखाया जाकर विवृत्त न्यायालय में सुनाया गया।

{नारायण प्रसाद}
न्यायाधीश,
मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण, संख्या–02
अनूपगढ़, जिला–श्रीगंगानगर

PRAVEEN KUMAR
Steno Gr.II "Authenticate Document"
Digitally signed by PRAVEEN KUMAR
Date: 2026.07.17 17:04:17 +0530